



JALAUN POLICE

दिनांक- 30.06.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन ने 02 अभ्यस्त अपराधी जिनके विरुद्ध जनपद के थानों में गंभीर धाराओं जैसे चोरी, लूट, बलवा, गुंडा अधि० आदि में अभियोग पंजीकृत हैं को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबंद किया/कराया गया है।

जिलाबंद अभियुक्तगण निष्कासन की अवधि में लिखित रूप से अवगत करायेंगे कि वह किस राज्य/जनपद/थाना/शहर/मुहल्ला/गाँव में निवास करेंगे एवं निष्कासन अवधि में अपने साथ अस्त्र, शस्त्र व आग्नेयशस्त्र इत्यादि धारण नहीं करेंगे। यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि० 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे।

विवरण जिलाबंद अभियुक्तगण –

- 1- मु० साहिल काजी उर्फ कान्चा उर्फ कांचा भाऊ पुत्र मु० हामिद काजी नि० मु० भगत सिंह नगर कस्बा व कोतवाली कोंच जनपद जालौन **दिनांक 18.06.2025 से जिलाबंद**
- 2- सागर ओमरे पुत्र काशीराम ओमरे नि० मु० नया राजेन्द्र नगर उरई कोतवाली उरई जपनद जालौन **दिनांक 18.06.2025 से जिलाबंद**